दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

UPHIN51019

5 पहली पत्नी नहीं थी नीतू...

8 मांगा सुख और शौभाग्य का आशीर्वाद

वर्षः 02, अंकः 20 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 11 नवम्बर, 2024

– गोरखपुर

– आस्था का सैलाब

धूम-धाम से मनाया गया छठ पर्व

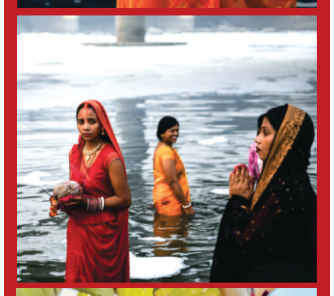

डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में कैसे रहेंगे भारत–अमेरिका के संबंध

वीजा–व्यापार और रक्षा क्षेत्र में क्या–क्या बदल सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रैट उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे की टक्कर रही। अमेरिकी चुनाव परिणाम में ट्रंप ने वापसी कर ली है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर देकर सत्ता में फिर से लौटने वाले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का भारत–अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 नतीजे आ गए हैं। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि, डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को तगड़ी टक्कर दी। ट्रंप चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं, इसका भारत पर भी असर पड़ेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान व दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया के जरिये अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए भारत संग संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दिवाली पर ट्रंप ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही रिपब्लिकन की सरकार बनने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी और आगे बढ़ाने का वादा किया था।

इससे पहले, ट्रंप ने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे

रिपब्लिकन कैंडिडेट और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान 'अमेरिका फर्स्ट' की पॉलिसी पर जोर दिया है, जिसका असर व्यापार, आप्रवासन, सैन्य सहयोग और कूटनीति जैसे क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है।

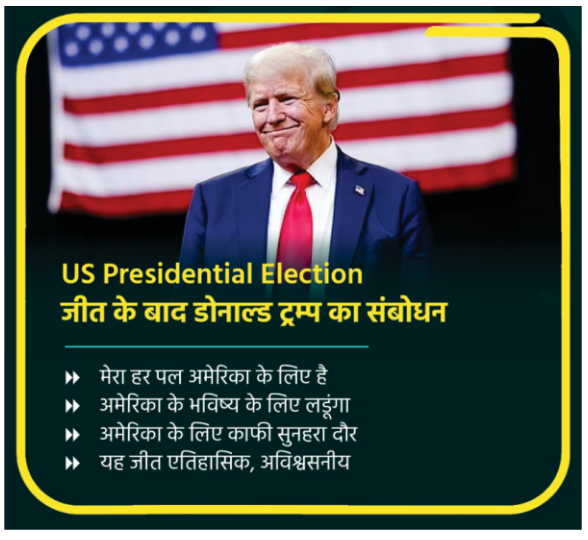

1. व्यापार और ट्रंप की नीतियां

ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज में अमेरिका को सर्वोपरि रखा था। कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को बाहर कर दिया था। इस बार भी ट्रंप प्रशासन अमेरिका केंद्रित पॉलिसीज पर ही जोर देगा। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में ट्रंप के नए आयात शुल्कों से भारत के आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।

ट्रंप ने पार और शुल्कों पर चर्चा करते हुए कहा था– भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर हैं। ये पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वह हमारे खिलाफ करता है। हालांकि, पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की थी।

हां, अगर ट्रंप चीन से दूरी बनाने वाली व्यापार नीति पर काम करते हैं तो यह भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकता है।

2. इमिग्रेशनः बढ़ सकती हैं भारतीय कामगारों की मुश्किलें

पिछले कार्यकाल में ट्रंप का आप्रवासन पर कठोर रुख विशेषकर H–1B वीजा कार्यक्रम पर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कामगारों के लिए वेतन कम करने और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यदि यह नीति फिर से लागू होती है, तो इसका असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है और भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी की संभावनाएं कम हो सकती हैं।

3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत–अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर व मजबूत होने की संभावनाएं हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड समूह के जरिये को मजबूती दी गई थी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।

ट्रंप ने समर्थकों को कहा शुक्रिया

ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थकों से कहा कि 'मैं आपका 47वां राष्ट्रपति हूं। ऐसी राजनीतिक जीत पहले कभी नहीं देखी गई।' भारी जीत की कगार पर खड़े रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और इसे अमेरिकी लोगों की शानदार जीत बताया। दरअसल, 78 वर्षीय ट्रंप को फिलहाल 267 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने की जानकारी है। यह 270 के जादुई आंकड़े से तीन कम है। वहीं, उनकी प्रतिद्वंद्वी मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 214 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के साथ पीछे चल रही हैं।

ट्रंप बोले– हमने इतिहास रच दिया

रिपब्लिकन चुनावी अभियान को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताते हुए ट्रंप ने कहा कि 'हम अपने देश को ठीक करने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे। हमने आज इतिहास रच दिया है। हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक जीत हासिल की है। मैं अमेरिकी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी हर सांस के साथ आपके और आपके परिवार के लिए लड़ूंगा।'

ट्रंप ने कहा कि 'यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। सच कहूं तो मेरा मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन था। इस देश में और शायद इससे परे भी ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अब यह एक नए स्तर पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि हम अपने देश को ठीक करने में मदद करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा देश है, जिसे मदद की जरूरत है। यह ऐतिहासिक है। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमने उन बाधाओं को पार किया, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।'

सम्पादकीय

मंगलवार 5 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तरप्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को मान्यता बरकरार रखी है

मदरसा शिक्षा पर बड़ा फैसला

मंगलवार 5 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तरप्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को मान्यता बरकरार रखी है। दरअसल इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुलायम सिंह सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश भी दिया था, ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

गौरतलब है कि 2004 में बनाए गए मदरसा अधिनियम का मकसद मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब (पारंपरिक चिकित्सा), दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार मदरसे हैं। जिनमें से साढ़े 16 हजार मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। इसके अलावा, राज्य में साढ़े आठ हजार गैर–मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इनको क्रमशः कामिल और फाजिल कहा जाता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि यह यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। मगर मदरसों के छात्र 12वीं तक की शिक्षा पहले की तरह ले सकेंगे।

दरअसल यहां मसला इस बात का नहीं है कि बच्चों को कौन सी डिग्री मिल रही है और कौन सी नहीं। असल सवाल उस अधिकार का है, जो संविधान के दायरे में रहकर अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया था, लेकिन उसके हनन के खतरे खड़े हो गए थे। मार्च 2024 में अंशुमन सिंह राठौड़ की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब मदरसा अधिनियम के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था। इस फैसले के बाद उप्र सरकार ने मदरसों के खिलाफ तमाम फरमान जारी कर दिए थे। मदरसों की मनमानी जांच शुरू कर दी गई। हालांकि इन सभी मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी लेकिन सरकार ने अपना आदेश जारी कर यह भी प्रचारित किया कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही। जबकि मदरसों के छात्र धार्मिक तालीम के साथ–साथ इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान आदि उर्दू या अरबी के जरिए पढ़ते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। इनमें अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया (उप्र), ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया (नई दिल्ली), मैनेजर एसोसिएशन अरबिया मदरसा नए बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदसिर अरबिया कानपुर शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस फैसले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 30 पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आदेश सुनाते हुए धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो कुछ कहा, वह भविष्य के लिए भी मिसाल बन गया है। अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा के लिए राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के समान व्यवहार करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जबकि उन्हें अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की अनुमति होती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने की अनुमति देती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मौलिक समानता के सिद्धांत में संगति पाती है।

इस व्याख्या के बाद संविधान प्रदत्त अधिकारों की जो मनमानी व्याख्या सत्तारुढ़ दल अपने छिपे एजेंडे को लागू करने के लिए करते हैं, उन पर शायद अंकुश लगे। दरअसल मदरसों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां बीते कुछ बरसों में फैलाई गईं। इसी तरह मिशनरी स्कूलों को लेकर भी पूर्वाग्रह फैलाए गए और देश में कई जगहों पर इन स्कूलों में अराजक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की कोशिशें भी हुईं। इसके बरक्स संघ की सोच से संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों को खूब बढ़ावा मिला। वहीं स्कूलों में सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र या गीता के पाठ के जरिए परोक्ष रूप से हिंदुत्व की राजनीति को बच्चों के नाजुक मन पर रोपने की कोशिशें भी चल ही रही हैं।

संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता है और सत्ता में बैठी भाजपा द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए या लेने की कोशिश की गई, जिनसे संघ का मकसद पूरा हो। आम दिनों के अलावा चुनावों के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें भाजपा की तरफ से तेज हो जाती हैं। अभी जिस तरह झारखंड चुनाव में हिमंता बिस्वा सरमा, आदित्यनाथ योगी, अमित शाह, नरेन्द्र मोदी जैसे भाजपा प्रचारक बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को तेज कर रहे हैं या महाराष्ट्र चुनाव में योगी के ही दिए नारे बंटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए, वो इसकी मिसाल हैं। इस तरह की रणनीति से भाजपा को तात्कालिक फायदा भले मिल जाए, लेकिन देश को इसका नुकसान लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा। वैसे भी 47 से लेकर अब तक सांप्रदायिक नफरत की आग में देश कई बार झुलस चुका है, ऐसे में संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों को इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह उम्मीद बंधी हुई है कि गलत को सही करने की गुंजाइश बची है।

भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कामकाज का यह अंतिम सप्ताह है

अपने ही जलाये चिराग को बुझाकर जा रहे हैं चन्द्रचूड़

जब सीजेआई चन्द्रचूड़ ने सरकार की आलोचना को लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये अच्छा बताया, जन आंदोलनों को लोकतांत्रिक अधिकार बताया तथा वे नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े दिखाई दिये, तो उन्होंने मानों घुप अंधेरे में एक चिराग रोशन किया था। लोगों को लगने लगा था कि ऐसे न्यायाधीश से सरकार की मनमानी रूकेगी, मानवाधिकार बहाल होंगे और नागरिक उनके अधिकारों से पुनः सुसज्जित होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कामकाज का यह अंतिम सप्ताह है। देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में काम करने के बाद वे आने वाले सप्ताह के अंतिम दिन यानी रविवार, 10 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो जायेंगे। 11 नवम्बर, 1959 को जन्मे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पहले बाम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। देश में नागरिक अधिकारों की सर्वोच्च कस्टोडियन कही जाने वाली इस न्यायिक संस्था के मुखिया का पद उन्होंने 8 नवम्बर, 2022 को सम्हाला था। जिस दौरान वे इस कुर्सी पर बैठे थे, वह एक तरह से अंधेरे का समय था। दो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस प्रकार से निरंकुश बन बैठे थे, उसके कारण देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थीं, विपक्ष लुंज–पुंज की अवस्था से वापिस खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, अल्पसंख्यकों की इमारतों तथा नागरिक अधिकारों पर बुलडोज़र चल रहे थे। फिलहाल मोदी जो तोड़ बहुत कमजोर पड़े हैं वह न्यायपालिका के कारण नहीं वरन नागरिकों के कारण है। सीजेआई चन्द्रचूड़ को कार्यकाल को किस प्रकार से याद किया जायेगा, इस पर विचार किये जाने का यह सटीक वक्त है।

उनके पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी 28 अगस्त 1972 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे जिन्होंने न्यायपालिका के इतिहास में सबसे लम्बी अवधि तक इस पद पर बने रहने का इतिहास बनाया है– 7 साल 4 माह का। वे अपने निर्भीक फैसलों एवं जनपक्षीय न्यायदान के लिये जाने जाते थे। इसलिये जब उनके पुत्र डीवाई ने यह पद सम्हाला तो उनसे आशाएं होनी स्वाभाविक थीं क्योंकि वे निष्पक्षता व निर्भीकता की एक चमकदार पारिवारिक विरासत लेकर आये थे। वैसे तो बगैर डरे और पक्षपात विहीन न्याय की विरासत खुद न्यायपालिका में उपलब्ध है परन्तु मोदी–काल में जिस प्रकार से न्यायपालिका का व्यवहार रहा है, उसके कारण सीजेआई चंद्रचूड़ से स्वतंत्र न्याय की अपेक्षा के लिये लोग संस्था की बजाये उनके परिवार की ओर देखने लगे थे और याद करते थे। वे जब इस पद पर बैठे तो कई न्यायाधीश, यहां तक कि एक पूर्व चीफ जस्टिस भी लोगों को निराश कर चुके थे। पद छोड़ने के बाद किसी के लिये राज्यसभा में कुर्सी लगने लगी तो किसी को राजभवन की आरामदेह जिंदगी नसीब हुई। एक तो ऐसे भी निकले जिन्होंने त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव तक लड़ लिया और संसद पहुंचे।

ऐसे सारे पूर्व 'मी लॉर्ड्स' ने निःसंदेह अपने पेशे को कलंकित किया क्योंकि उनकी कलम से ऐसे फैसले निकले थे जो सरकार से बढ़कर सत्ताधारी दल यानी भाजपा के लिये लाभकारी साबित हुए थे। यहां तक कि कुछ ऐसे निर्णय भी थे जो उस संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिये भी जाने गये जिसकी रक्षा का भार एवं दायित्व इन्हीं माननीयों पर था। सेवा काल के बाद जब इन न्यायाधीशों ने सरकार में कोई पद सम्हाला या राजनीति में प्रवेश किया तो लोग उनके दिये निर्णयों को फिर से उलट–पलट कर देखने लगे और इसकी जांच करते रहे कि क्या उनमें कोई ऐसा एंगल रहा था जिसने भाजपा या सरकार को लाभ दिया हो। एक जज के रूप में परन्तु भविष्य में निजी तौर फायदा लेने के लिये हुए ये फैसले अंततोगत्वा भारतीय न्याय पद्धति की विश्वसनीयता को पलीता लगा गये। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से देशवासी ऐसे निर्णयों और न्यायाधीशों को देखने के आदी हो चुके हैं क्योंकि जब राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने तक बगैर ना–नुकुर के 'एक देश एक चुनाव' के लिये बनी कमेटी का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया तो न्यायाधीशों की भला क्या बिसात? वैसे न्यायपालिका के जजों के बारे में अब कहा जाने लगा है कि 'जब सांसद–राज्यपाल बनने का अवसर सामने हो तो खामख्वाह जज लोया क्यों बना जाये?' यह भी ख्याल रखा जाये कि जब डी वाय चंद्रचूड सीजेआई बने तब तक स्वीकार कर लिया गया था कि न्यायपालिका सरकार की जेब में है। उनके आने के पहले ही मोदी एवं उनके मुख्य सिपहसालार अमित शाह मनमाने ढंग से कई संविधान विरोधी या जनविरोधी कानून बगैर रूकावट के ला चुके थे। चाहे कृषि कानून हो या अनुच्छेद 370 की समाप्ति आदि, अपनी नागरिकता साबित करने के लिये कागज दिखाने पर मजबूर करने वाले कानून हों या न्याय संहिता में मनमाने बदलाव। सरकार के खिलाफ की गयी तमाम याचिकाएं न्यायपालिका में औंधे मुंह जा गिरती थी। सरकार और मोदी के खिलाफ बात करना गैरकानूनी ही नहीं एक तरह से पाप हो चला था। विरोधी दलों की सरकारें गिराई जाती रहीं तो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को शक्तिहीन किया गया अथवा जेलों में डाला जाता रहा। सरकारें गिराई जाती रहीं सो अलग।

ऐसे में जब सीजेआई चन्द्रचूड़ ने सरकार की आलोचना को लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये अच्छा बताया, जन आंदोलनों को लोकतांत्रिक अधिकार बताया तथा वे नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े दिखाई दिये, तो उन्होंने मानों घुप अंधेरे में एक चिराग रोशन किया था। लोगों को लगने लगा था कि ऐसे न्यायाधीश से सरकार की मनमानी रूकेगी, मानवाधिकार बहाल होंगे और नागरिक उनके अधिकारों से पुनः सुसज्जित होंगे। उनके कुछ निर्णय इस तरह के दिखाई तो दिये लेकिन उनका लार्स्टिंग इफेक्ट कहीं नजर नहीं आता। सरकार का लोकतंत्र विरोधी काम अब भी जारी है, विरोधी नेताओं के दरवाजों पर जांच एजेंसियां अब भी दस्तकें देती रहती हैं। कुछ नेताओं या कार्यकर्ताओं को बेल मिल जाना ही न्याय नहीं है क्योंकि वे अब भी अपने सिर पर अपराधी होने का ऐसा कलंक ढो रहे हैं जो साबित ही नहीं हुआ है।

यह वक्त है कि उनके कई फैसलों या उनकी देखरेख में हुए निर्णयों की (चाहे वे उनमें शामिल रहे हों या न रहे हों) विवेचना का। यह तो सही है कि चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सही ठहराया पर इसके लिये न तो किसी भी पार्टी का पैसा जब्त किया न किसी को दोषी ठहराया, जैसे उनके एक पूर्ववर्ती सीजेआई ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को गैरकानूनी बतलाते हुए भी मंदिर बनाने का अधिकार दिया। सीजेआई चन्द्रचूड़ ने तोड़–फोड़ से बनी महाराष्ट्र सरकार को अवैध तो ठहराया लेकिन उसे वे सत्ता में बने रहने को मौन होकर देखते भी रहे। उन्होंने चंडीगढ़ नगरपलिका के निर्वाचन अधिकारी को लोकतंत्र का अपराधी बतलाया पर उसे जेल नहीं भेजा। ऐसे ही, उमर खालिद हों या सुधा भारद्वाज अथवा जीएन साईंबाबा या फादर स्टेन– इन सबकी न रिहाई सुनिश्चित की और न ही उनके खिलाफ आरोप साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को जवाबदेह बनाया। इनमें से कई अब भी जेल के भीतर दिन गिन रहे हैं या कुछ बाहर आकर मर गये हैं। दूसरी ओर दोषसिद्ध हुए अपराधी हर महीने– दो महीने में फरलो पर जेल के बाहर आ जाते हैं। प्रक्रिया को दोष नहीं दिया जा सकता न ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (जो सजा से भी अधिक कष्टप्रद है) क्योंकि उसे भी न्यायपूर्ण बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने घर गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, तब भी सवाल उठे। अंधेरा छंटा नहीं है। ऐसे में जो दीपक सीजेआई चन्द्रचूड़ ने जलाया था उसे भी वे फूंक मारकर जा रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में रिकार्ड उछाल

भारत का सोना और चांदी का आयात मुख्य रूप से पांच देशों से होता है, जिसमें स्विट्जरलैंड सोने के आयात का प्राथमिक स्रोत है, जबकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, गिनी और बोलीविया हैं। 2023–24 में यूएई से भारत के सोने और चांदी के आयात में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां निजी सोने की जमाखोरी का अधिकांश हिस्सा निम्न मध्यम आय वर्ग के पास है। चीन में, उच्च मध्यम आय वर्ग के पास देश की सोने की बचत का अधिकांश हिस्सा है। यूरोप और एशिया में भू–राजनीतिक तनाव बढ़ने और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा पहले से कहीं ज़्यादा सोना खरीदने के कारण पिछले साल से सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में उछाल का सिलसिला जारी रह सकता है, जब तक कि दुनिया में जल्द ही शांति और आर्थिक स्थिरता वापस नहीं आ जाती। हालांकि, निकट भविष्य में शांति और वित्तीय स्थिरता आने की संभावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि ईरान ने इजरायल और हमास के उग्रवादियों के बीच युद्ध में दखल देते हुए इजरायल पर मिसाइलें फेंकी हैं और बाद में इजरायल ने भी चुनिंदा ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी मिसाइल हमलों के साथ जवाब दिया है।

सालों पुराना हमास–इजरायल युद्ध के अब ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में फैलने का खतरा है। इसी तरह, दो साल पुराना रूस–यूक्रेन युद्ध एक बुरा मोड़ ले सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया रूस में सेना भेज रहा है, जिससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है। पिछले हफ़्ते, पेंटागन ने पुष्टि की कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया है और माना जा रहा है कि वे 'अगले कुछ हफ़्तों'ठ्ठा में यूक्रेन के खिलाफ़ लड़ाई में शामिल हो जायेंगे। कई क्षेत्रों में भू–राजनीतिक स्थिति गंभीर है। शायद यही कारण है कि अनेक देशों के केंद्रीय बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। 2024 की पहली छमाही के दौरान, केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड 483 टन सोना खरीदा, जो 2023 में 460 टन के पिछले रिकॉर्ड से पाँच प्रतिशत अधिक था। 2024 की पहली छमाही में तुर्की सोने का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने 45 टन सोना खरीदा। भारतीय रिज़र्व बैंक 2024 में लगातार सोना खरीद रहा है, और सितंबर 2024 तक, इसने अपने घरेलू सोने के भंडार में 100 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि की है।

पोलैंड का राष्ट्रीय बैंक भारत के साथ संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्वर्ण खरीदार बन गया है। चीन पिछले 18 महीनों से अपने स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि कर रहा है। देश का केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अपनी परिसंपत्तियों में विविधता लाने, विदेशी मुद्राओं पर अपनी निर्भरता कम करने, मौद्रिक नीति में लचीलापन बढ़ाने, बढ़ती अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि कर रहा है। उभरते बाजार के सभी बैंक सोना खरीद रहे हैं। केंद्रीय बैंक डॉलर से अलग अपनी आरक्षित परिसंपत्तियों में विविधता लाने और अपने भंडार को मजबूत करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। यह प्रवृत्ति डी–डॉलरीकरण के व्यापक विषय का हिस्सा है। संयोग से, चांदी की कीमतें भी इसी के साथ बढ़ रही हैं।

भारतीय अमीर मध्यम वर्ग द्वारा सोने की निरंतर घबराहट भरी खरीद के कारण, देश में पीली धातु की खुले बाजार की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल अक्टूबर के मध्य में, 22 कैरेट सोने की कीमतें 53,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमतें 58,530 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं। कुछ ही महीनों में, इस साल 31 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 63,970 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमत 76,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

पिछले महीने के अंत में, दिल्ली में सोने की कीमत 81,343 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गयी। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 103,200रुपये प्रति किलोग्राम थी। हालांकि नवंबर में कीमतें अस्थायी रूप से थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन आने वाले शादी के मौसम में वे फिर से बढ़ने के लिए बाध्य हैं। अमीर लोग मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए लगातार अपनी अतिरिक्त रुपये की संपत्ति को सोने में दबा रहे हैं। नाममात्र जीडीपी में दुनिया में भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय रैंक 136वीं है, जो 2022 मं 2,089.73 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गयी है। देश ने दुनिया में सोने का पांचवां सबसे बड़ा आयातक होने का गौरव प्राप्त किया है, जो वैश्विक आयात का नौ प्रतिशत से अधिक है। 2023–24 में भारत का सोने का आयात साल–दर–साल 30 प्रतिशत बढ़ा है। अगस्त 2024 में, भारत ने रिकॉर्ड सोने के आयात की सूचना दी, जो कुल 10 अरब डॉलर था, जो पिछले महीने से तीन गुना वृद्धि थी। इस वर्ष के दौरान, भारत ने पहले चार महीनों में 2023 की तुलना में अधिक चांदी का आयात किया। फरवरी 2024 में, भारत का चांदी का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, और वर्ष में 66 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद थी।

भारत का सोना और चांदी का आयात मुख्य रूप से पांच देशों से होता है, जिसमें स्विट्जरलैंड सोने के आयात का प्राथमिक स्रोत है, जबकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, गिनी और बोलीविया हैं। 2023–24 में यूएई से भारत के सोने और चांदी के आयात में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां निजी सोने की जमाखोरी का अधिकांश हिस्सा निम्न मध्यम आय वर्ग के पास है। चीन में, उच्च मध्यम आय वर्ग के पास देश की सोने की बचत का अधिकांश हिस्सा है। लगभग हर जगह, उच्च आय वर्ग के पास निजी सोने की अधिकांश जमाखोरी होती है।

दुनिया के शीर्ष निजी सोना जमा करने वाले देशों में शामिल हैं: अमेरिका (8,133 टन), जर्मनी (3,352 टन), इटली (2,452 टन), फ्रांस (2,437 टन), चीन (2,264 टन), जापान (846 टन), भारत (841 टन) और नीदरलैंड (612 टन)। सोना शायद एकमात्र ऐसी वस्तु है, जिसकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही (क्त3) के परिणामों के अनुसार, कुल सोना मांग में साल दर साल रिकॉर्ड पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मजबूती सोने की कीमत में परिलक्षित हुई, जो तिमाही के दौरान कई नये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गयी। मांग का मूल्य साल दर साल 35 प्रतिशत बढ़कर पहली बार 100अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, सोने की छड़ और सिक्कों में निवेश (269 टन) में साल दर साल नौ प्रतिशत की गिरावट आयी, जो कि 2023 की अपेक्षाकृत मजबूत तीसरी तिमाही से कम है। गिरावट का अधिकांश हिस्सा दो या तीन प्रमुख बाजारों तक सीमित था, जिसे भारत में एक बहुत मजबूत तिमाही द्वारा संतुलित किया गया। भारत में मजबूत वृद्धि के बावजूद सोने के आभूषणों की खपत (459 टन) में साल दर साल 12 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि उपभोक्ताओं ने कम मात्रा में खरीदारी की, लेकिन सोने के आभूषणों पर उनका खर्च बढ़ गया। मांग का मूल्य साल दर साल 13 प्रतिशत बढ़कर 36 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। वैश्विक स्वर्ण मूल्यों को नियंत्रित करने वाले सामान्य कारक जैसे भू–राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, केंद्रीय बैंक की खरीद, बांड प्रतिफल और अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी आदि भारत के विशाल निम्न मध्यम आय वर्ग को चिंतित नहीं करते हैं।

जय छठी मइया

धारदार हथियार से रेती गर्दन

खून से लथपथ मिले शव चिलुआताल में मचा हड़कंप

गोरखपुर। गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में अलग–अलग जगहों पर हत्या कर फेंके गए दो शव मिले। जिससे इलाके में सनसनी मच गई। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाने वाले ने कहा नंबर एक निवासी अनिल गुप्ता (35) का शव घर से थोड़ी दूर पर खून से लथपथ हालत में बुधवार सुबह सड़क किनारे मिला।

शव देखकर लग रहा था कि गर्दन किसी धारदार हथियार से रेती गई है। इसी तरह दूसरी घटना में नुरूद्दीन चक संझाई स्थित सूखे हुए तालाब में उसी गांव के काली चरण (40) का शव मिला। दोनों ही घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कपड़ा व्यापारी अनिल गुप्ता के परिजनों ने बताया कि रात में दुकान बंद कर 11 बजे अकेले ही वो घर के लिए निकला था। इस दौरान फोन पर बात हुई तो बोला थोड़ी देर में आ जाउंगा। इसके बाद एक बार फिर छोटे भाई ने फोन किया तो बोला बस आ रहा हूं। रात 12 बजे के बाद से फिर फोन उठना बंद हो गया। सुबह गांव के एक किनारे नाले में डूबी लाश देखकर लोगों ने पुलिस और आस–पास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर छोटा भाई पहुंचा तो उसने शव की पहचान अनिल गुप्ता के रुप में की।

कल्याण मंडपम, गार्बेज स्टेशन और म्यूजियम तैयार...

गोरखपुर। खोराबार में बन रहे शहर के पहले कल्याण मंडपम का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। विद्युत सब स्टेशन के पास 4.25 करोड़ रुपये की लागत से कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएनडीएस) कल्याण मंडपम का निर्माण कर रहा है। संचालन के लिए फर्म का चयन जल्द ही किया जाएगा।शहर के पहले कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ ही चरगांवा में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, गुलरिहा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसीएस), नौसड़ में एनिमल इंसीनरेटर और नगर निगम के पुराने भवन में संग्रहालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण जल्द ही मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं। चरगांवा में बने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेशन के शुरू हो जाने के बाद सभी वार्डों का कूड़ा घरों से एकत्रित कर पड़ाव–घर में न ले जाकर सीधे गार्बेज स्टेशन पर ले जाया जाएगा। वर्तमान में लालडिग्गी पार्क क्षेत्र स्थित बसंतपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन संचालित हो रहा है। यहां शहर के करीब 30 वार्डों का कूड़ा पहुंचता है। कल्याण मंडपम के लिए फर्म का चयन जल्द : खोराबार में बन रहे शहर के पहले कल्याण मंडपम का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। विद्युत सब स्टेशन के पास 4.25 करोड़ रुपये की लागत से कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएनडीएस) कल्याण मंडपम का निर्माण कर रहा है। मंडपम में एक मल्टीपरपज हॉल, आठ कमरे, गेस्ट रूम, पार्किंग, कॉफ्रेंस हॉल बनाया गया है। मल्टीपरपज हॉल में 300 लोगों के बैठने की क्षमता है। संचालन के लिए जल्द ही फर्म का चयन किया जाएगा। कुत्तों के आतंक से मिलेगा छुटकारा : गुलरिहा में नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसीएस) एवं डॉग केयर का निर्माण कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस कर रही है। 1700 वर्ग मीटर में 1.85 करोड़ की लागत वाले सेंटर के संचालन के लिए निजी एजेंसी का चयन कर लिया गया है। काम भी अंतिम चरण में है। प्रतिदिन 41 श्वान की नसबंदी की क्षमता के साथ 30 डॉग्स के देखभाल की क्षमता है।

दुल्हन बनने को युवती आई आगरा...दूल्हा बना हैवान

कमरे में कर लिया कैद, दोस्त को बुलाकर बारी–बारी लूटी आबरू

गोरखपुर,संवाददाता। आगरा में असम की एक युवती को शादी का झांसा देकर लाया गया। जिस युवक को शादी करनी थी, वो हैवान बन गया। युवती को बंधक बना लिया और फिर दोस्त संग मिलकर बारी–बारी से आबरू लूटी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से शादी का झांसा देकर आगरा लाई गई असम की 20 वर्षीय युवती से किरावली में दो युवकों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मंगलवार को पीड़िता एक महिला की मदद से थाना पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

युवती ने पुलिस को बताया कि वह गंगानगर, राजस्थान अपनी बड़ी बहन के घर आई थी। तीन दिन पहले गंगानगर से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे केरल अपने भाई के पास जाना था। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के दौरान उसे पुणे निवासी मनोज गायकवाड़ मिला। प्यार भरी बातें करने लगा। केरल की ट्रेन में उसके साथ बैठ गया। इस दौरान शादी का झांसा दिया। कैंट स्टेशन पर उतारने के बाद वह उसे गांव भालरा, किरावली निवासी अपने दोस्त कान्हा के यहां ले गया।

दो दिन तक अपने दोस्त के घर रखा

युवक ने दो दिन तक अपने दोस्त के यहां रखा। एक रात उससे दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसके दोस्त ने भी दुष्कर्म किया। दो दिन बाद उसे दूसरी जगह एक महिला के घर ले गया। युवती ने उस महिला को सारी बात बताई। महिला ने युवती को थाना किरावली भेजा। पुलिस ने मनोज और कान्हा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी दिल्ली से उपकरण लाकर आगरा और पुणे में बिक्री करते हैं। पुलिस बुधवार को पीड़िता का मेडिकल कराएगी।

लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने अपने पैतृक जिले बेगूसराय में पूजा में भाग लिया।

जय-छठी-मइया

पहली पत्नी नहीं थी नीतू...

किरायेदार को बनाया जीवनसंगिनी, राजेंद्र के संबंधों को लेकर खुलासा

वाराणसी । दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब राजेंद्र के पड़ोसियों ने बताया कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले वर्ष 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के शूटरों से कराई थी। जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 1999 में उसने भदैनी में अपने किरायेदार एक ब्राह्मण परिवार की नीतू से प्रेम विवाह किया था। नीतू से प्रेम विवाह के बाद ही परिजन ने उससे नाता तोड़ लिया था।

राजेंद्र गुप्ता का पांच मंजिल का है मकान

भदैनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता (56) का पांच मंजिला (भूतल और चार मंजिला) मकान है। मकान के अगले हिस्से में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर राजेंद्र का एक–एक फ्लैट है। जबकि, अन्य फ्लैट और उससे सटे टिनशेड में 40 किरायेदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू (45), बेटे नवेंद्र (24) व सुबेंद्र (15) और बेटी गौरांगी (17) रहते थे।

रीता देवी ने शवों को देखा, अलग–अलग तल पर मिले शव

मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी प्रथम तल स्थित फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ निढाल पड़ी थी। वह भाग कर दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गई तो वहां एक कमरे में नवेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी थी। वहीं, सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं था। राजेंद्र के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैक करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र निढाल पड़ा था।

> मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। वारदात के बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

आला अफसर पहुंचे, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए

सूचना मिलने के बाद पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, ज्वाइंट सीपी डॉ के एजिलरसन, एडिशनल सीपी डॉ एस चनप्पा और डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल भी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम की मदद से छानबीन की गई। घटनास्थल से खून, बाल सहित तमाम साक्ष्यों के नमूने जुटाए गए। फिंगर प्रिंट सहित अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच की गई।

राजेंद्र ने की थी दो शादी

पुलिस के अनुसार, राजेंद्र ने दो शादी की थी। हाल के दिनों में एक अन्य महिला से भी उसकी करीबी बढ़ी थी। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल रहती है। इन्हीं सभी बिंदुओं को वारदात की वजह मान कर सीसी कैमरों की फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस की 10 टीमें जांच कर रही हैं।

यह था मामला

वाराणसी के भदैनी में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। भदैनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग–अलग तल से मंगलवार को एक महिला, उसके दो बेटों और एक बेटी का शव मिला। पांचों की कनपटी और सीने में गोली मारी गई है। घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिला है

.32 बोर की पिस्टल का हत्या में हुआ इस्तेमाल

दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि पांचों लोगों की हत्या में .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

हर माह 10 लाख से ज्यादा की आमदनी

बाबा और पिता के बूते ही राजेंद्र का भदैनी में आलीशान मकान और जमीन है। शिवाला में उसकी जमीन पर ही देसी शराब का ठेका है। किरायेदार भी रहते हैं। मीरापुर रामपुर गांव में वह मकान बनवा रहा था। इसके अलावा छित्तूपुर सहित कुछ जगहों जमीन खरीदी थी। राजेंद्र के करीबियों ने बताया कि भदैनी व शिवाला के किरायेदारों और शराब ठेका संचालक से प्रति माह राजेंद्र को 10 लाख रुपये से ज्यादा किराया मिलता था। एसओजी के साथ भेलूपुर और रोहनिया थाने की पुलिस घटना के खुलासे के लिए लगाई गई हैं। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसे आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। –मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त।

राजेंद्र ने 28 साल पहले अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की करवाई थी हत्या

राजेंद्र के पड़ोसियों ने बताया कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले वर्ष 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के शूटरों से कराई थी। वर्ष 1997 में राजेंद्र पर उसके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि, राजेंद्र की मां शारदा देवी ही मामले में वादी थी। इस कारण मां को अपने पक्ष में करके वह जेल से बाहर आ गया था। वहीं, कृष्णा और मंजू की हत्या का मामला रफा–दफा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 1999 में उसने भदैनी में अपने किरायेदार एक ब्राह्मण परिवार की नीतू से प्रेम विवाह किया था। नीतू से प्रेम विवाह के बाद ही परिजन ने उससे नाता तोड़ लिया था। राजेंद्र गुप्ता के बाबा पन्ना साव अपने दौर के संपन्न लोगों में शुमार थे। भदैनी इलाके के लोगों ने बताया कि पन्ना साव किराये पर 150 रिक्शा चलवा कर बड़े पैमाने पर चल–अचल संपत्ति के मालिक बन गए।

बरेली पुष्पेंद्र हत्याकांड: 'फैसला आने से पहले ही निपटा देंगे', आरोपियों ने दी थी धमकी

बरेली । थाना क्षेत्र में बीसलपुर रोड पर मंगलवार शाम पुष्पेंद्र की हत्या से सनसनी फैल गई। बाइक सवार हमलावरों ने घेरकर उन पर गोलियां बरसाईं। तीन साल पहले पुष्पेंद्र के भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुष्पेंद्र वादी थे। हत्यारोपियों ने उनको धमकी भी दी थी। जानते हैं हत्याकांड की पूरी कहानी... बरेली के भुता थाना क्षेत्र में पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में परिजनों ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को देने के साथ ही वायरल की हैं, जो हत्यारोपियों के खतरनाक इरादों को बता रही हैं। आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पुष्पेंद्र को निपटाने की धमकी उसके करीबियों के जरिये दी थी। इससे पुष्पेंद्र सजग भी था, लेकिन गांव से निकलते ही मंगलवार को उसकी हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने बीसलपुर रोड पर नवदिया सीएनजी पंप के समीप घेरकर पुष्पेंद्र के सीने में गोलियां दाग दीं। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए।

जनवरी 2021 में हुई थी बड़े भाई की हत्या

प्लॉट व प्रधानी चुनाव की रंजिश में 20 जनवरी 2021 में पुष्पेंद्र के बड़े भाई विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधान हिस्ट्रीशीटर पूरनलाल पटेल व उसके परिजनों ने गोलियां मारी थीं। इसमें पूरनलाल, उसके भाई अर्जुन व चचेरे भाई पवन को नामजद किया गया था। साक्ष्य के अभाव में पूरनलाल व अर्जुन के नाम पुलिस ने निकाल दिए थे। हालांकि पूरनलाल जमीन के किसी दूसरे विवाद में अब भी जेल में है।

हत्या के मुकदमे में वादी थे पुष्पेंद्र

पुष्पेंद्र अपने भाई की हत्या के मुकदमे में वादी था। वादी समेत सभी की गवाही पूरी हो चुकी है और मुकदमा अंतिम चरण में कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस को सौंपी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में पुष्पेंद्र ने कार में बैठे हुए कॉल रिसीव करने वाले मोबाइल का दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाया था।

आरोपियों की धमकी को हल्के में लिया

पुष्पेंद्र और विरोधी पक्ष दोनों का कोई करीबी दुश्मन की रणनीति के बारे में उन्हें बता रहा था। कह रहा था कि जेल में बंद पूरन के भतीजे व पवन का भाई सिपिन, पुष्पेंद्र की हत्या की योजना बना रहे हैं। वह कह रहे हैं कि फैसला आने से पहले पुष्पेंद्र को निपटा देंगे। पुष्पेंद्र ने उस वक्त इसे हल्के में लिया।

शहर में रहता था परिवार, अकेले नहीं जाते थे गांव

भाई की हत्या के बाद पुष्पेंद्र अपने परिवार के साथ बरेली की आकाशपुरम कॉलोनी में रह रहे थे। वह कभी कभार गांव में रह रही मां को देखने व जमीन की देखभाल करने गांव आते थे। तब वह अकेले नहीं आते थे। फिलहाल बीमार मां को देखने व धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बुआई कराने के लिए वह गांव आए थे। शाम ढलने से पहले ही गांव से निकल लिए थे पर शायद उनके गांव में पहुंचने के साथ ही आरोपियों ने हत्या की रणनीति तैयार कर ली थी और गांव से निकलते ही उनके पीछे लग गए।

फुटेज में आया सच...दौड़ाया तो बाइक फिसली, फिर मारल गोलियां

पुलिस ने घटनास्थल के पास घर में लगे सीसीटीवी को चेक किया तो उसमें हत्या की घटना भी आ गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पुष्पेंद्र तेजी से बाइक लेकर आ रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बाइक साइड में करके भागने की कोशिश की पर बाइक फिसल गई है। इसके करीब आठ सेकेंड बाद एक बाइक आकर रुकती है। एक युवक बाइक चला रहा है। जबकि दो लोग बाइक से उतरकर पुष्पेंद्र को गोली मारते हैं। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में ले लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पीलीभीत बाइपास पर जाम लगाने की कोशिश

पीलीभीत बाइपास के अस्पताल के बाहर आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया और जाम लगाने की कोशिश की। वह पूरनलाल व पवन आदि के घर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। इस विरोध को लेकर शहर में हत्या और बवाल जैसी अफवाह फैल गई। लोगों ने पुलिस और अखबार के दफ्तरों में कॉल करके सच्चाई पता की।

बरेली में विवाहिता ने दी जान: भाई दूज पर मायके आई थी कमरे में मिला सुसाइड नोट, नौ माह पहले हुई थी शादी

बरेली। भाई दूज पर मायके आई विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। कमरे में छानबीन के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। बरेली के थाना क्षेत्र के गांव बंजरिया जागीर में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर मायके में खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बंजरिया जागीर निवासी नरेश पाल ने अपनी 28 वर्षीय पुत्री अर्चना यादव का विवाह 10 फरवरी को थाना इज्जतनगर के गांव कलापुर नरेन्द्र सिंह के साथ की थी। अर्चना पति के साथ भैया दूज पर मायके आई थी। त्योहार के बाद पति वापस चला गया और अर्चना यादव मंगलवार को ससुराल जाने की बात कहते हुए मायके में ही रुक गई।

ससुराल जाने की कर रही थी तैयारी

परिजनों के मुताबिक मंगलवार सुबह अर्चना ससुराल कलापुर जाने की तैयारी कर रही थी। वह कमरे में थी। काफी देर बाद परिजन कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां कुंडे के सहारे अर्चना का शव फंदे पर लटक रहा था। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत से चीख–पुकार मच गई। मायकेवालों के जहन में एक सवाल था कि कुछ देर पहले तक वह ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। इस बीच ऐसा क्या हुआ, जिससे उसने अपनी जान दे दी।

पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट

सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पर लिखा था कि वह अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हैं। उनके मायके वालों की कोई गलती नहीं है। वह ससुराल में खुश नहीं हैं। मायके वालों का आरोप है कि ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर अर्चना ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। इधर, थाना अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मदरसा एक्ट पर 'सुप्रीम' मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था।

——दिल्ली,एजेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरक्षेता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा।

कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को उस खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा अधिनियम केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है, जो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य के मदरसों को एक बड़ी राहत दी। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखते हैं। एक बात यह भी है कि यदि राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है, केवल तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है।

यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था।

निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर 'सुप्रीम' फैसला

- 1978 के बाद के उन फैसलों को पलटा गया, जिनमें समाजवादी विषय को अपनाते हुए कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती हैं।
- सीजेआई ने सात न्यायाधीशों का बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसलिए सरकारों द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता।

फेसले से किसे राहत ?

फैसला उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इन मदरसों को बंद करने और वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिला देने का आदेश दिया था।

क्या है मामला ?

दरअसल, उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असांविधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस कानून को पूरी तरह से वैध करार दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कानून को मान्यता दे दी है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अक्तूबर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा था ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरक्षेता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि मदरसों का नियमित करना राष्ट्रीय हित में है।

किसने–क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लखनऊ ईदगाह इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि इस फैसले से मदरसे से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। यूपी मदरसा अधिनियम का मसौदा यूपी सरकार ने ही बनाया था। सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हमने पहले भी कहा है कि हम मदरसों में इस्लामी शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा भी देते हैं।

निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा– सरकार इन्हें नहीं ले सकती

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण किए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बेंच ने तीन हिस्सों के फैसले में कहा, "निजी संपत्ति किसी समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास हो वह समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो ही।" सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अधिगृहित कर सकती है।

> चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

सात न्यायाधीशों का बहुमत के फैसले में कहा कि सरकार के निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि, मौजूदा फैसले के तहत निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अब सरकार द्वारा अधिगृहीत नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच में दो जजों का फैसला अलग रहा। जहां जस्टिव बीवी नागरत्ना ने बेंच के फैसले से आंशिक रूप से असहमति जताई, वहीं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया पूरी तरह असहमत रहे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या?

उच्चतम न्यायालय ने 7:2 के बहुमत के फैसले में मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि, सीजेआई के नेतृत्व वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकारें कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकती हैं।

अनुच्छेद 31सी, अनुच्छेद 39(बी) और (सी) में क्या?

अनुच्छेद 31सी, अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत बनाए गए कानून की रक्षा करता है, जो सरकार को आम भलाई के वास्ते वितरण के लिए निजी संपत्तियों सहित समुदाय के भौतिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देता है।

16 याचिकाओं पर सुनवाई

शीर्ष अदालत ने 16 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (पीओए) द्वारा दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। पीओए ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) अधिनियम के अध्याय 8–ए का विरोध किया है। 1986 में जोड़ा गया यह अध्याय सरकारी प्राधिकारियों को उपकरित भवनों और उस भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है जिस पर वे बने हैं, यदि वहां रहने वाले 70 प्रतिशत लोग पुनर्स्थापन उद्देश्यों के लिए ऐसा अनुरोध करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16 हजार मदरसों पर कैसा रहेगा असर

'न्यायपालिका की आजादी का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं', सीजेआई बोले– समाज बदल गया है

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दिया था तो उन्हें निष्पक्ष बताया गया था। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने लोगों से जजों के फैसलों में विश्वास रखने की अपील की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक व्यवस्था का निष्पक्ष रहना बेहद जरूरी है।

क्या बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दिया था तो उन्हें निष्पक्ष बताया गया था। सीजेआई ने कहा कि 'जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में फैसला करते हैं तो तब आप पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन अगर आपका कोई फैसला सरकार के पक्ष में चला जाता है तो तब आप आजाद नहीं रह जाते। मेरे हिसाब से स्वतंत्रता की यह परिभाषा नहीं है।' उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया था। इस योजना के तहत राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग मिलने का प्रावधान था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस योजना को खारिज कर दिया था।

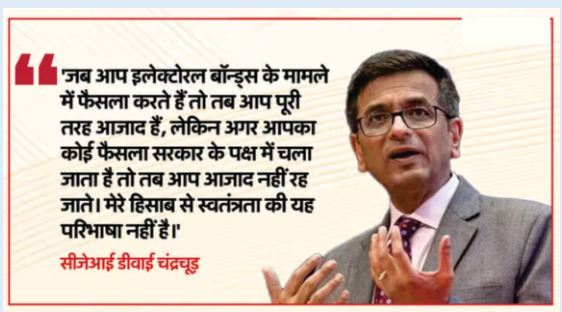

सोशल मीडिया के जरिए बनाया जाता है दबाव

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के प्रभाव से आजादी है, लेकिन सिर्फ ये ही एक चीज नहीं है, जिससे न्यायापालिका आजाद मानी जाएगी। हमारा समाज बदल गया है। खासकर सोशल मीडिया का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है और अब ऐसे समूह बन गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर अदालतों पर दबाव बनाते हैं और अपने पक्ष में फैसले कराने की कोशिश करते हैं।' मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई समूह ऐसे हैं, जो न्यायपालिका की तब ही आजाद मानते हैं, जब उनके पक्ष में फैसला होता है। एक जज को स्वतंत्र होना चाहिए और अपने विवेक के आधार पर फैसले करने चाहिए और बेशक उनके फैसले कानून और संविधान के आधार पर होने चाहिए। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश आगामी 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों गणेश उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गए थे, उसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। हालांकि सीजेआई ने प्रधानमंत्री के उनके निजी धार्मिक समारोह में शामिल होने को भी गलत नहीं माना था।

पत्नी और 3 बच्चों के कत्ल से दहली काशी; परिवार को खत्म करने के बाद आरोपी पति

मदीना में किया गुपचुप निकाह

बिग बास ओटीटी 3 में नजर आ चुकी सना सुल्तान सना सुल्तान ने मदीना में किया गुपचुप निकाह सना सुल्तान ने वेडिंग फोटोज में छुपाया शौहर का चेहरा

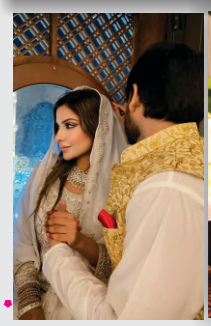

एंटरटेनमेंट डेस्क,। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 से पॉपुलेरिटी हासिल करने वालीं सना सुल्तान ने 4 नवंबर को अपने एक पोस्ट से हर किसी को हैरान कर दिया। सना ने बड़ी सादगी से अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ निकाह किया है, वो भी मदीना में। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की हैं। ये है हाई सोसाइटी फिल्म में नजर आ चुकीं सना सुल्तान अब शादी के बंधन में बंध गई हैं। वह इसी साल बिग बॉस ओटीटी 3 में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई दी थीं और उन्हें काफी पसंद किया गया था। अब सना ने गुपचुप तरीके से एक सिंपल वेडिंग में अच्छे दोस्त मोहम्मद वाजिद से निकाह कर लिया है। उन्होंने मदीना में निकाह किया है।

शादी के बंधन में बंधीं सना

सना सुल्तान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निकाह की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में वह अपने शौहर के साथ मदीना के सामने अपनी मेहंदी को फ्लॉन्ट कर रही हैं। एक फोटो हस्ताक्षर सेरेमनी की है और एक निकाह कबूल करने वाली रस्म की है। तस्वीरों में दोनों ने अपनी–अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट की है। व्हाइट जोड़े में सना बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वेडिंग पिक्चर्स में उन्होंने दूल्हेराजा का चेहरा नहीं दिखाया है।

दोस्त से बने हमसफर

इन फोटोज को शेयर करते हुए सना सुल्तान ने कैप्शन में लिखा, "अलहमदुल्लिलाह। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मुझे सबसे पवित्र और स्वप्निल स्थान–मदीना में निकाह करने का सौभाग्य मिला है, मेरे सबसे शानदार इंसान, मेरे वाजिद जी, मेरे "विटामिन डब्ल्यू" के साथ। प्यारे दोस्तों से लेकर जीवन साथी तक, हमारा सफर प्यार, धैर्य और विश्वास का एक वसीयतनामा रहा है।

विवादित रियलिटी शो बिग बास ओटीटी 3 में नजर आ चुकी सना सुल्तान शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की जानकारी दी। उन्होंने शौहर के साथ वेडिंग फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं। उन्होने मदीना में निकाह किया है। देखिए वेडिंग फोटोज।

मैंने उनके 8 नाइट स्टैंड से थककर इंडस्ट्री छोड़ी

पाकिस्तानी मूल की अदाकारा सोमी अली बालीवुड में भी काम कर चुकी हैं। अपने अभिनय से ज्यादा वे सलमान खान के साथ अपने कथित अफयेर की वजह से चर्चा में रहल्। हाल ही में सोमी ने सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

सलमान के साथ रिलेशनशिप पर सोमी अली का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क। सोमी अली हाल ही में अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अभिनेता सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर बात करती नजर आईं। दरअसल, सोमी ने रेडिट पर हाल ही में 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अपने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर न सिर्फ बात की, बल्कि कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वे सलमान खान के साथ रिश्ते में रहते हुए मारपीट से परेशान हो गई थीं। इसके अलावा सलमान खान के 8 नाइट स्टैंड से भी थक चुकी थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसे नाम का जिक्र भी किया, जिसे ऐश्वर्या राय से जोड़कर देखा जा रहा है।

'ऐश' नाम की लड़की का लिया नाम

सोमी और सलमान खान का अफेयर 90 के दशक में सुर्खियों में रहा। सोमी ने सेशन के दौरान खुलासा किया कि 90 के दशक में सलमान खान के 'आठ वन–नाइट स्टैंड' के कारण उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था। दरअसल, एक रेडिट यूजर ने सोमी से पूछा कि उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा? इसके जवाब में सोमी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'क्योंकि मैं सलमान के सिर्फ एक नहीं बल्कि आठ वन–नाइट स्टैंड से थक गई थी। इसके अलावा, मैं रोज–रोज की मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने तब छोड़ा जब मेरा बॉयफ्रेंड 'ऐश' नाम की एक नई लड़की को लेकर आया! मैं उसके वन–नाइट स्टैंड से थक चुकी थी'।

अफेयर की वजह से प्रभावित हुआ करियर

सोमी ने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते और उसके करियर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी खुलकर बात की। सोमी ने खुलासा किया कि उन्हें कई बॉलीवुड प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन कथित तौर पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही इसमें कई अड़चनें पैदा कीं। उन्होंने उनके कई प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया। सोमी ने कहा कि उन्होंने इस डर से ऐसा किया कि कहीं वह उनकी हकीकत को उजागर न कर दें।

'एलक्टग नहीं, सलमान पर क्रश की वजह से आई बालीवुड'

सोमी ने आगे कहा कि वह सलमान खान पर क्रश होने की वजह से बॉलीवुड में आईं, न कि अभिनय के लिए। सोमी ने कहा, 'ठीक है, मैं वहां एक्टिंग करने नहीं गई थी। मैं टीनएज में अपने क्रश की वजह से गई। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि असल जीवन में आपको अपने आदर्शों से मिलना चाहिए'।

'सीरियल किलर में सलमान से ज्यादा तमीज'

इतना ही नहीं, सोमी अली ने अमेरिका सीरियल टेड बंडी से सलमान खान की तुलना कर दी और उसे सलमान से बेहतर बताया। सोमी ने कहा, ' यह कहना अतिशयोक्ति होगी। मुझे लगता है कि टेड बंडी में सलमान से ज्यादा तमीज थी'।

बिश्नोई को बताया बालीवुड का नया दाऊद

काला हिरण शिकार मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों पर सोमी अली ने सलमान खान का बचाव किया था। अभिनेत्री एक बार फिर इस मामले पर बोलती नजर आईं। उन्होंने बिश्नोई को 'बॉलीवुड का दाऊद और छोटा शकील' करार दिया। सोमी ने आगे कहा कि वह सलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहतीं।

'मौत और हत्या के खिलाफ हूं'

सोमी ने कहा, 'मैं मौत की सजा और हत्या के खिलाफ हूं, चाहे वह सलमान खान हों या सड़क पर कोई अजनबी। मुझे सलमान की परवाह नहीं है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं चाहती, क्योंकि मैं शांतिवादी और गांधी जी का अनुयायी हूं'।

सुशांत की आत्महत्या पर कही ये बात

सोमी अली ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में भी कुछ संवेदनशील बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, 'सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु आत्महत्या से नहीं हुई, दरअसल, उनकी हत्या की गई। हम अभी भी नहीं जानते कि जिया खान के साथ क्या हुआ, क्योंकि वे गर्भवती थीं और पंखे से लटकी हुई पाई गई थीं और सूरज पंचोली सलाह के लिए सलमान के पास गए, जिसके कारण आखिरकार जिया की मौत हो गई'।

बालीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। लारेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसमें सलमान खान से मंदिर जाकर माफी मांगने और पांच करोड़ रुपये देने की मांग की गई है।

'मंदिर जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ दो', बिश्नोई गैंग की सलमान खान को धमकी

छठी मइया का दरबार है' उगते सूर्य को अर्घ्य दे की कामना

मांगा सुख और शौभाग्य का आशीर्वाद

सिर पर दउरा हाथ में गन्ना लिए श्रद्धालु छठ घाट पहुंचे

– गोरखपुर

छठ पर्व की शुरुआत नहाय–खाय से शुरू होती है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया गया। चौथे दिन ऊषा अर्ध्य देने के बाद चार दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन हो गया। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व समाप्त हो गया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ के अंतिम दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में छठ घाट गोरखनाथ मंदिर का भीम सरोवर, सूर्यकुंड धाम, राप्ती नदी तट, रामगढ़ ताल के साथ–साथ गली मोहल्ले में बने छठ घाट पर श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।

इसी के साथ महिलाएं मंगल गीत गाते हुए घाट पर पहुंची जहां छठ माता को विभिन्न प्रकार के फल, ठेकुआ इत्यादि अर्पण किया। छठ माता की बेदी पर दीप जलाकर संतान की दीर्घायु की मंगल कामना की। श्रद्धालु पटाखे छोड़ने के साथ आतिशबाजी भी कर रहे हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय–खाय से शुरू होती है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया गया। चौथे दिन ऊषा अर्ध्य देने के बाद चार दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन हो गया। भक्तों ने छठी मईया से अगले साल फिर से आने की कामना की। आज व्रती पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की वंदना कर छठी मईया से सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा।

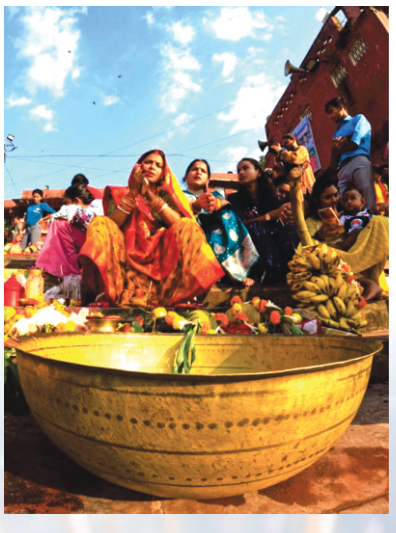

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार

मो. नं. 7307180148,9170772370

Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।